भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1274
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

कटाव से प्रभावित समुदायों का पुनर्वास

†1274. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 15वें वित्त आयोग ने नदी द्वारा अपरदन को प्राकृतिक आपदा माना है तथा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत पुनर्वास सहित पर्याप्त मुआवजे की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के जवाब में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अपरदन से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए एनडीआरएफ के तहत निधि के आवंटन पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा अपरदन को रोकने के लिए अपरदन कम करने संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत अपरदन प्रभावित समुदायों के लिए राहत और पुनर्वास हेतु असम को अब तक आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या केंन्द्र सरकार को असम सरकार से राज्य में अपरदन के कारण भूमिहीन और बेघर हो चुके पीड़ितों के ब्यौरे के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): पंद्रहवें वित्त आयोग ने तटीय और नदी कटाव के गंभीर प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिणाम का संज्ञान लिया था। इसमें कटाव से संबंधित दो पहलुओं अर्थात कटाव को रोकने के लिए शमन उपाय [राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत] और कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास [राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत] पर विचार किया गया था।

समस्या की गंभीरता को देखते हुए XV-FC ने सिफारिश की है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों तटीय और नदी कटाव के कारण होने वाले लोगों के व्यापक विस्थापन से निपटने के लिए एक नीति विकसित करें।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 1274, दिनांक 11.02.2025

तदनुसार, कटाव के जोखिम को कम करने के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचाट अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए एनडीएमएफ से 1,500 करोड़ रुपये और कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए एनडीआरएफ से 1000 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए असम राज्य सरकार को राहत के लिए एसडीआरएफ के तहत 3793.60 करोड़ रुपये और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के तहत 948.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार एसडीएमएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार बाढ़ और कटाव सहित विभिन्न आपदाओं के लिए शमन गतिविधियां चला सकती है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिनांक 20.06.2024 को "राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत तटीय और नदी कटाव के लिए धन की मंजूरी और रिलीज के लिए दिशानिर्देश" एवं "राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर नीति" शीर्षक से दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एनडीएमएफ के दिशानिर्देश दिनांक 28.02.2022, एसडीएमएफ के दिशानिर्देश दिनांक 14.01.2022, तटीय और नदी कटाव के दिशानिर्देश दिनांक 20.06.2024 और साथ ही कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की नीति दिनांक 20.06.2024, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

असम राज्य सहित राज्य सरकारें पुनर्वास की लागत का 10 प्रतिशत योगदान करके लागत साझाकरण के आधार पर धन प्राप्त कर सकती हैं। राज्य सरकार ने अभी तक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

***